## न्यायालय-सिराज अली, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

<u>आप. प्रक. क.—686 / 2010</u> संस्थित दिनांक—15.09.2010

## // <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक—16/07/2014 को घोषित)

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा—279, 338 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—23.08.2010 को समय दिन के करीब 12:00 बजे स्थान ग्राम ग्राम खुर्सीपार, थाना मलाजखंड, अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक—एम.पी. 50 / पी.0139 को लापरवाहीपूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत भिसेन्द्र को ठोस मारकर घोर उपहित कारित की।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—23.08.2010 को समय करीब 12:00 बजे पब्लिक बस कमांक—एम.पी.50 / पी.0139 के चालक ने लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक बस का चालन करते हुये आहत भिसेन्द्र की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया, उक्त बस की टक्कर से आहत भिसेन्द्र को हाथ, पैर व सीने पर को चोट कारित हुई तथा खून निकलने लगा। उक्त घटना की रिपोर्ट सूचनाकर्ता तोषणसिंह ने थाना मलाजखंड में दर्ज करवायी गई। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक—70 / 2010, धारा—279, 337, 338 भा.द.वि. तथा धारा—184 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी से उक्त दुर्घटना कारित वाहन की जप्ती की गई, वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत उसके विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 3— आरोपी को भा.द.वि. की धारा—279, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को

झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया गया है। आरोपी की ओर से प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

- 4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:--
  - 1. क्या आरोपी ने दिनांक—23.08.2010 को समय दिन के करीब 12:00 बजे स्थान ग्राम ग्राम खुर्सीपार, थाना मलाजखंड, अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक एम.पी.50 / पी.0139 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित ?
  - 2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को उतावलपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत भिसेन्द्र बिसेन को ठोस मारकर घोर उपहति कारित की ?

## विचारणीय बिन्दु क.—1 व 2 पर सकारण निष्कर्ष :—

- 5— भिसेन्द्रसिंह (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये है कि दुर्घटना दिनांक को मलाजखंड से मोटरसाइकिल से आ रहा था तो सामने से एक पब्लिक बस कमांक-एम.पी.50 / पी.0139 ने टक्कर मार दी, जिससे वह मोटरसाइकिल से गिर गया और उसे दाहिने पैर और हाथ की उंगली में चोट आयी थी। उसके दाहिने पैर में अस्थि भंग हो गया था। घटना के समय बस को कौन चला रहा था, उसने नहीं देखा था। दुर्घटना बस चालक की गलती से हुई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपी की पहचान दुर्घटना कारित वाहन बस के चालक के रूप में नहीं की है। शेष तथ्यों के संबंध में साक्षी के कथन से अभियोजन को समर्थन प्राप्त होता है कि घटना के समय बस की टक्कर से उसे घोर उपहित कारित हुई थी।
- 6— अभियोजन की ओर से चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में भूमेश कुमार (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। घटना के समय वाहन बस से टक्कर होने पर दुर्घटना में भिसेन्द्र का दाहिना पैर टूट गया था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने दुर्घटना कारित बस को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए भिसेन्द्र को ठोस मार दिया था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी—1 से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का आरोपित अपराध के संबंध में समर्थन नहीं किया है।
- 7— तोषणलाल (अ.सा.४) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय मलाजखंड तरफ से आहत भिसेन्द्र मोटरसाइकिल से आ रहा था तो रास्ते में पब्लिक ट्रेव्लस की बस तेजी से आयी और आहत की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उसका पैर टूट गया। साक्षी ने साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—4 लेखबद्ध कराया जाना प्रकट किया है। यद्यपि साक्षी ने दुर्घटना कारित बस को कौन

चला रहा था, इसकी जानकारी न होना प्रकट किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। वह दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचा था। इस प्रकार साक्षी ने उसके द्वारा लेखबद्ध करायी गई रिपोर्ट के अनुरूप अपनी साक्ष्य पेश की है, किन्तु दुर्घटना कारित बस के चालक के रूप में आरोपी की पहचान नहीं की है।

- 8— टेहलसिंह (अ.सा.3) एवं कोमलसिंह (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि घटना के समय आहत भिसेन्द्र को एक बस ने सामने से टक्कर मार दी थी, जिससे उसे चोट आयी थी। उक्त साक्षीगण को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने दुर्घटना कारित बस को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए भिसेन्द्र को ठोस मार दिया था। साक्षीगण ने उनके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आहत को कैसे चोट लगी, उन्हे जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्षीगण ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन का समर्थन इस संबंध में नहीं किया है कि आरोपी के द्वारा वाहन बस को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाया जाकर आहत भिसेन्द्र को उपहित कारित की थी। वास्तव में इन साक्षीगण के द्वारा भी घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन को चलाते हुए नहीं देखा गया। ऐसी दशा में इन साक्षीगण की साक्ष्य से आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है।
- 9— डाक्टर एम.मेश्राम (अ.सा.७) ने अपनी साक्ष्य में घटना के समय आहत भिसेन्द्र का चिकित्सीय परीक्षण करने और उसके दाहिने जांघ में अस्थि भंग होने और चोटे गम्भीर प्रकृति की होने व दुर्घटना में आयी होने का अभिमत दिया है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। अन्य चिकित्सक डाक्टर जे.राय चौधरी (अ.सा.९) ने भी साक्ष्य में घटना के पश्चात् उसके राम कृष्ण अस्पताल रायपुर में आहत भिसेन्द्र के भर्ती होने पर उसके दाहिने जांघ की हड्डी में अस्थि भंग होने का समर्थन करते हुए मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी—9 को प्रमाणित किया है। इस प्रकार चिकित्सीय साक्षीगण ने आहत भिसेन्द्र को घटना के समय घोर उपहित कारित होने की पुष्टि की है।
- 10— अनुसंधानकर्ता अधिकारी राजेन्द्र सिलेवार (अ.सा.10) ने अपनी साक्ष्य में मामले में की गई असल कायमी एवं सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी दिलीप कटरे (अ.सा.8) ने दुर्घटना कारित बस के मैकेनिकल परीक्षण के संबंध में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है तथा आबिद कमाली (अ.सा.6) ने भी जप्ती कार्यवाही एवं गिरफतारी पंचनामा का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। यद्यपि अनुसंधानकर्ता के द्वारा मामले में की गई सम्पूर्ण साक्ष्य को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित मान भी लिया जाये तब भी मात्र समर्थनकारी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का मामला

प्रमाणित नहीं होता है।

11— अभियोजन मामले के चक्षुदर्शी साक्षी व आहत के द्वारा आरोपी की पहचान दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में नहीं की गई है। किसी भी साक्षी ने घटना के समय उक्त वाहन चलाये जाते हुए देखे जाने का तथ्य अपनी साक्ष्य में पेश नहीं किया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से केवल यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घटना के समय आहत भिसेन्द्र को बस की टक्कर से घोर उपहित कारित हुई थी, किन्तु उक्त बस को आरोपी के द्वारा चलाये जाने का तथ्य अभियोजन ने प्रमाणित नहीं किया है। ऐसी दशा में आरोपी के विरुद्ध उसके द्वारा दुर्घटना कारित वाहन को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाये जाकर मानव जीवन संकटापन्न कर आहत को उपहित कारित करने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। आरोपी के विरुद्ध अभियोजन ने आरोपित अपराध के संबंध में अपने मामले को युक्ति—युक्त संदेह से पर प्रमाणित नहीं किया है।

12— उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक—एम.पी.50 / पी.0139 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत भिसेन्द्र को ठोस मारकर घोर उपहित कारित की। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा—279, 338 के अन्तर्गत अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

13— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

14— प्रकरण में जप्तशुदा बस कमांक—एम.पी.50 / पी.0139 को सुपुर्ददार ताहिर कमाल पिता मुबारक हुसैन को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है। अतः उक्त सुपुर्दनामा अपील अविध पश्चात् सुपुर्ददार / आवेदक के पक्ष में उन्मोचित समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट